राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33 / (सीधी भर्ती–2013) / 2013 / 151

दिनांकः 19.02.2013

आयुक्त,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति क्रमांक 150 दिनांक 19.02.2013 को राजस्थान के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के राजस्थान राज्य के सभी संस्करणों में नियमानुसार प्रकाशित कराने का श्रम करें।

संलग्नः– 8 प्रतियाँ

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33 / (सीधी भर्ती–2013) / 2013 / 151

दिनांकः 19.02.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय।
6. निदेशक, जन स्वा0 / आर.सी.एच. / एड्स /
7. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
9. उप प्रबन्धक (पी), राजकॉम्प
10. प्रभारी, सर्वर रूम को विज्ञप्ति विभाग की वेब साईट पर अपलॉड करने हेतु प्रेषित है
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,

तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

क्रमांकःई–33/(सीधी भर्ती–2013)/2013/150 दिनांकः 19/2/13

डेन्टल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक एवं जूनियर साईंटिफिक एसिस्टेंट के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति वर्ष–2013

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में **निम्नलिखित पदों** पर नियमित नियुक्ति के लिये सीधी भर्ती–2013 हेतु इन नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ये आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित **समस्त ई–मित्र (E-Mitra) कियोस्क एवं नागरिक सेवा केन्द्र (Common Service Centre)** पर **दिनांक** 01.03.2013 से भरे जा सकते हैं।

निम्न पदों की भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं विस्तृत विज्ञप्ति विभाग की वैबसाईट **www.mhsonline.rajasthan.gov.in** पर **दिनांक** 01.03.2013 से उपलब्ध है।

क्रम सं.	पद नाम	पदों की संख्या
1.	डेन्टल टेक्नीशियन	94
2.	नेत्र सहायक	265
3.	जूनियर साईंटिफिक एसिस्टेंट	6

नोटः–

1. उपरोक्त पदों की इन रिक्तियों में आरक्षण नियमानुसार देय है।
2. आयु की गणना 01.01.2014 को आधार मान कर की जावेगी।
3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
4. अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार शिथिलता देय होगी।
5. **डेन्टल टेक्नीशियन एवं जूनियर साईंटिफिक एसिस्टेंट** के पदों पर विगत 3 वर्षो में रिक्तियां विज्ञापित नहीं किये जाने के कारण इन पदों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देय होगी। **नेत्र सहायक** के पद पर विगत 2 वर्षो में रिक्तियां विज्ञापित नहीं किये जाने के कारण इस पद के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देय होगी।
6. नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार अंशदायी पेन्शन योजना लागू होगी।
7. आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 01.04.2013 (सांय 6.00 बजे तक) होगी।
8. ऑनलाईन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 02.04.2013 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक** है। इसके पश्चात ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा।
9. आवेदन पत्र ऑनलाईन सबमिट हो जाने के बाद एडिटिंग की अनुमति नहीं है। अतः आवेदक, आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में स्वयं से संबंधित प्रविष्ठियां यथा– स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवास आदि प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक सोच समझ कर सही रूप से दर्ज करावे। प्रविष्ठि में त्रुटि होने पर रसीद उसी दिन निरस्त करवा कर राशि जमा कराने की दूसरी रसीद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रसीद का इन्द्राज आवेदन पत्र में स्वतः ही दर्ज हो जावेगा।
10. अभ्यर्थी आर्नलाईन आवेदन करने से पूर्व विभाग की विस्तृत विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें तथा उसके पश्चात ही उसमें उल्लेखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही आवेदन करें।
11. भर्ती के संबंध में प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक दूरभाष नम्बर 0141–2225624 पर दिनांक 1.3.2013 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– उक्त विज्ञापित पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिये अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

(कन्हैया लाल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर